आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com , Web-www.idabihar.com, phone: 0612- , 26752914, 2675995,

पत्रांक :-- 659/Tech 08/106/Tech./IDA/19 दिनांक:- 06-03-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

सेवा में,

Surya Narayan Chaudhary
At+P.S.-Mahishi,
Dist.- Saharsa, Pin – 852201

विषय : जिला उद्योग केंद्र मधेपुरा एवं खगड़िया के जीर्णोद्धार कार्य को ससमय समाप्त नहीं करने के कारण Debar करने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 2958/PDA दिनांक 20-08-19, पत्रांक 3123/PDA दिनांक 02-09-19 एवं 69/PDA दिनांक 10-01-20

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला उद्योग केंद्र मधेपुरा एवं खगड़िया का जीर्णोद्धार कार्य आपको आवंटित किया गया था जिसका एकरारनामा संख्या 12/F2/2019-2020 एवं 13/F2/2019-2020 दिनांक 26-06-19 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26-06-19 एवं कार्य समाप्ती की तिथि 25-10-2019 थी। एकरारनामा के अनुसार उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है परंतु अभी तक उक्त दोनों कार्य अपूर्ण एवं निर्माण कार्य बिना किसी सूचना के बंद है।

उक्त दोनों जीर्णोद्धार कार्यों की समय सीमा पूर्ण नहीं करने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 68/PDA एवं 69/PDA दिनांक 08-01-2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, परंतु अभी तक आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया जिससे यह ज्ञात होता है कि आपको उक्त के आलोक में कुछ नहीं कहना है एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य में जानबुझ कर लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई है, जिसके कारण प्राधिकार की छवि खराब हुयी है।

अतः उक्त दोनों जीर्णोद्धार का कार्य की प्रगति समर्पित कार्ययोजना के समानुपातिक नहीं होने एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चाधिकारी के निदेशों का बार–बार अवहेलना करते हुये कार्य को बंद रखने के कारण एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तांतरण किये जाने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपको निबंधन संख्या IDA/25/Class III/2019 (वैधता दिनांक 26-06-19 से 25-06-24) को वंचित (Debar) किया जाता है साथ ही अंतिम तौर पर निदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों परियोजनाओं के अवशेष कार्य को युद्धस्तर पर प्रारम्भ करके यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करा कर प्रशासी विभाग को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं (कंडिका 02 एवं 03) के तहत आपका एकरारनामा रद्द कर जमा अग्रधन की राशि को जब्त करते हुये आपके फर्म को कालीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी।

Debar का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 6/3/2020

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

ज्ञापांक :- 659/Tech दिनांक:- 06-03-2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी निदेशक(वित), निदेशक (प्रशासन), आई0 डी0 ए0 को सूचनार्थ समर्पित।

(हस्ताक्षर) 6/3/2020

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)